माननीय न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के समक्ष

राकेश कुमार- याचिककर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य *-प्रतिवादी*

क्रिमिनल मिसलैनीअस 2009 का एम-36005

26 अप्रैल, 2011

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 272 और 420–खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954–धारा 16 और 20–बिक्री के लिए कृत्रिम घी के भंडारण के याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप–1954 अधिनियम की धारा 16 और 20 मिलावटी, गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में अपराध का ध्यान रखना–धारा 420 आईपीसी जोड़ना अनुचित है जब उक्त आरोप 1954 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है–इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के तहत अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है और नहीं हो सकता पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए - याचिका की अनुमति दी गई, धारा 420 और 272 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और बाद में सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई।

अभिनिर्णित, यह कि एफआईआर में आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने बाजार में बेचने के लिए कृत्रिम घी का भंडारण किया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायत में लगाए गए आरोप समान हैं और उक्त आरोप से निपटने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1854 में

विशिष्ट प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम स्वतः निहित है और इससे निपटने में सक्षम है। इसलिए, आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है।

(पैरा 11)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, धारा 415 आईपीसी के संदर्भ में, धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए अपेक्षित सामग्री यह है कि जो कोई भी, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा कुछ करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या यदि वह नहीं करता तो चूक जाता है इसलिए धोखा, और जो कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।

(पैरा 12)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, यह निर्णय दिया गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 और 20 में मिलावटी, गलत ब्रांड की खाद्य वस्तुओं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, की बिक्री के मामले में अपराध का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार, धारा 420 आईपीसी को जोड़ना अनुचित होगा जब उक्त आरोप खाद्य अपमिश्रण

निवारण अधिनियम, 1954 के तहत धाराओं द्वारा कवर किया गया है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 272 के तहत अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों की जांच पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती है।

(पैरा 17)

राजेश गर्ग, *याचिकाकर्ता के वकील*

सिद्धार्थ सरूप, डीएजी, हरियाणा, *प्रतिवादी-राज्य की ओर से*

निर्मलजीत कौर, न्यायमूर्ति

(1) यह धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका है, जिसमें पुलिस स्टेशन सेक्टर 10-ए, गुड़गांव, जिला गुड़गांव में धारा 420 और 272 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 204 दिनांक 18 जुलाई, 2009 को रद्द करने और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

(2) एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर, यदि स्वीकार की जाती है, तो भी वह किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी संज्ञेय अपराध को कम नहीं करती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत नहीं की है कि याचिकाकर्ता द्वारा काल्पनिक/नकली घी बेचकर उसे धोखा दिया गया था और न ही किसी ने शिकायत की कि उसने याचिकाकर्ता को कृत्रिम घी बेचने के लिए देखा है किसी को भी।

(3) दूसरे, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने काल्पनिक देसी घी तैयार किया था, तो भी, उस पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में निहित व्यक्त प्रावधानों के मद्देनजर धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

(4) तीसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अंतर्गत अपराध एक असंज्ञेय अपराध है और पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकी क्योंकि उपर्युक्त अपराधों के लिए निर्धारित सजा दो वर्ष है।

(5) अंत में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (अनुबंध पी-2) के तहत भी शिकायत दर्ज की गई है।

(6) जतिंदर कुमार जैन *बनाम पंजाब राज्य, हरिंदरपाल* सिंह बनाम *पंजाब राज्य, पियारा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, बलजीनदर सिंह बनाम पंजाब राज्य* के रूप में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है/ सैयद कलीम बनाम मैसूर लक्ष्मी बीड़ी वर्क्स और अन्य *के रूप में दिए गए मामले में दिए गए कर्णाटक उच्च न्यायालय के निर्णय, नगर निगम, गवालीयरम, खाद्य निरीक्षक के माध्यम से बनाम* लुरिंडमल नामक *मामले में दिए गए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय,* कलकत्ता उच्च न्यायालय के जहीर अहमद *बनाम* आजम खान शीर्षक वाले फैसले में यह तर्क दिया गया था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के विशेष प्रावधानों के मद्देनजर प्राथमिकी सुनवाई योग्य नहीं है।

(7) हालांकि, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया

कि शिकायत खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, जबकि एफआईआर धारा 420 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उस पर लिखे मिथुन वनस्पति के नाम से मिलावटी घी बेचने की संभावना थी।

(8) शीर्षक

(9) यह स्वीकार किया जाता है कि 18 जुलाई, 2009 को वर्तमान एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (अनुबंध पी-2) के तहत एक शिकायत भी एफआईआर के समान आरोप के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के न्यायालय में लंबित है। शिकायत में लगाए गए आरोप निम्नानुसार हैं -

(a) नमूना खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत घी के लिए यथा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है।

(b) आरोपी ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 50 का उल्लंघन किया है क्योंकि उसे बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाया गया था।

(c) उसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के तहत अपराध किया है क्योंकि उसने खाद्य भंडार की उक्त वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा था और उसे बेच रहा था।

(10) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16,

जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित किया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथित आरोपों का निपटान करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ए) (i) और (1 ए) निम्नानुसार है:

"16. शास्ति- [(1) उपधारा (1A) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति-

(a) क्या स्वयं द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में आयात करता है या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है या खाद्य पदार्थ का भंडारण, बिक्री या वितरण करता है -

(1) जो धारा 2 के खंड (आईए) के उपखंड (एम) के अर्थ के भीतर मिलावटी है या उस धारा के खंड (ix) के अर्थ के भीतर गलत ब्रांडेड है या जिसकी बिक्री इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के आदेश द्वारा निषिद्ध है:

(2) एक्सएक्सएक्स एक्सएक्सएक्स एक्स

(बी-जी) एक्स एक्स एक्स

वह उस शास्ति के अतिरिक्त, जिसके लिए वह धारा 6 के उपबंधों के अधीन दायी हो सकेगा, कारावास से, जिसकी

अवधि छह मास से अन्यून होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से अन्यून होगी, दंडनीय होगा।

बशर्ते कि -

(1A) यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता है या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है, या स्टोर, बेचता है या वितरित करता है, -

(i) भोजन की कोई भी वस्तु जो मिलावटी है धारा 2 के खंड (आईए) के उप-खंड (ई) से (1) (दोनों समावेशी) में से किसी का अर्थ; नहीं तो

(ii) कोई भी मिलावट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह करेगा, उस शास्ति के अतिरिक्त, जिसके लिए वह धारा 6 के उपबंधों के अधीन दायी हो सकेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से अन्यून होगी किंतु जो छ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से अन्यून होगी, दण्डनीय होगा।

(11) वर्तमान मामले में आते हुए, एफआईआर में आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने बाजार बेचने के लिए कृत्रिम घी का भंडारण किया था। इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि शिकायत में लगाए गए आरोप समान हैं और उक्त आरोप से निपटने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण

अधिनियम, 1954 में विशिष्ट प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम स्वतः निहित है और इससे निपटने में सक्षम है। इसलिए, आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है।

(12) अन्यथा भी, धारा 415I.P.C के संदर्भ में, धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री यह है कि जो कोई भी, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा या ऐसा कुछ करने के लिए छोड़ देगा जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा नहीं था धोखा, और जो कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने की संभावना का कारण बनता है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।

(13) एफआईआर के अवलोकन से ऐसा कोई इरादा या प्रलोभन नहीं बनता है।

(14) सैयद कलीम **(सुप्रा)** *के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने* पैरा 8 में निम्नानुसार निर्णय दिया: -

> "8. जहां तक आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप तय करने का संबंध है, यह कहा जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम की धारा 78 और 79 के मद्देनजर झूठे व्यापार विवरण आदि

लागू करने के लिए दंड प्रदान किया गया है, और माल बेचने के लिए जुर्माना लगाया गया है जिस पर एक गलत व्यापार चिह्न या गलत व्यापार विवरण लागू किया गया है, आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप पूरी तरह से अनुपयुक्त हो जाता है।

आईपीसी की धारा 420 इस प्रकार है:

"धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करना, - जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए धोखा देता है, या बनाने के लिए, एक मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी भी हिस्से को नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो गाया या सील किया जाता है, और जो एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, कारावास या दोनों में से किसी एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो सात साल तक का हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यद्यपि किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के व्यापार चिन्ह पर उसके माल पर झूठा आवेदन करने में धोखाधड़ी का तत्व है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का कार्य अपने आप में धारा 420आईपीसी को आकर्षित करेगा। जब व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एक

स्व-निहित अधिनियम है, में विशिष्ट उपबंध हैं तो उन पूर्वानुमानों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का सहारा लेना अनुचित होगा। आरोपित आदेश से यह पता लगाना संभव नहीं है कि कैसे और किस आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया गया।

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी सागर सूरी** *बनाम* **उत्तर प्रदेश राज्य के** मामले में पैरा 13 में (8) निम्नानुसार विचार व्यक्त किया गया था -

14.हम अपीलकर्ताओं के इस कथन से सहमत हैं कि शिकायतकर्ता का पूरा प्रयास स्पष्ट रूप से परिवार के सभी सदस्यों, विशेष रूप से जो गंगा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के माता-पिता हैं, को तत्काल आपराधिक मामले में उनकी भूमिका या भागीदारी की परवाह किए बिना कथित अपराधों में उनकी भूमिका या भागीदारी की परवाह किए बिना है, जिसका एकमात्र उद्देश्य वित्त कंपनी को ऋण प्राप्त करना है। आपराधिक अभियोजन। अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत पहले से ही लंबित है। यदि उनके खिलाफ धारा 138 के तहत अपराध साबित होता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। किसी भी मामले में शिकायतकर्ता के लिए अपीलकर्ताओं पर धारा 406/420

आईपीसी और 1966 के तहत मुकदमा चलाने का कोई अवसर नहीं है। उनका ऐसा करना स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा रद्द करने योग्य है, जो हम करते हैं।

(16) पियारा सिंह और अन्य के मामले में यह न्यायालय इस न्यायालय के निर्णय में **कहा गया है।** *(सुप्रा)* इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 78 और 79 द्वारा कवर किए जा रहे आरोपों के मद्देनजर धारा 420 आईपीसी के तहत आरोप अनुचित है, निम्नानुसार देखा गया है: -

"6. पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, शिकायत से किया गया अपराध असंज्ञेय था और मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध में आगे की जांच को फिर से निर्देशित करते हुए दूसरा आदेश पारित किया, जैसा कि पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है, कि रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि धोखाधड़ी का अपराध किया गया था जो संज्ञेय अपराध है। यह न्यायिक निष्कर्ष था और इस तरह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच की गई। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत कोई अपराध उन आरोपों पर भी लागू होता है जो अधिनियम की धारा 78 और 79 के अधीन अपराध करने को कवर करते हैं। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि अधिनियम में धारा 78 और

79 के तहत अपराधों को शामिल करने से पहले, आईपीसी की धारा 482 जैसा कि यह तब था, इस तरह के अपराध के कमीशन को कवर करता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 482 को अधिनियम की धारा 78 और 79 के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए सजा की उपलब्धता के कारण भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 420 को भी उन्हीं आरोपों के लिए जोड़ना अनुचित होगा जो अधिनियम की धारा 78 और 79 द्वारा कवर किए गए हैं। सैयद **कलीम** *बनाम* **मेसर्स मैसूर लक्ष्मी बीड़ी वर्क्स और अन्य, 1993 सीआरएल एलजे 232 में भी यह देखा गया है**, जो निम्नानुसार है: -

"व्यापार और वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 78 और 79 के मद्देनजर झूठे व्यापार विवरण आदि लागू करने और सामान बेचने के लिए जुर्माना प्रदान किया गया है, जिस पर गलत व्यापार चिह्न या गलत व्यापार विवरण लागू किया गया है, जैसा कि हमारे समक्ष प्रासंगिक मामले में आरोप लगाया गया है, आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप पूरी तरह से अनुचित है।

(17) इसी प्रकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 और 20 में मिलावटी, गलत ब्रांड की खाद्य वस्तुओं, जो स्वास्थ्य

के लिए हानिकारक है, की बिक्री के मामले में अपराध का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार, धारा 420 आईपीसी को जोड़ना अनुचित होगा जब उक्त आरोप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत धाराओं के साथ-साथ ऊपर चर्चा की गई विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में भी शामिल है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 272 के तहत अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों की जांच पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती है।

(18) इसके अलावा, वर्तमान मामले में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अनुलग्नक पी -2) के तहत शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

(19) इस प्रकार, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और एफआईआर संख्या 204 दिनांक 18 जुलाई, 2009 को पुलिस स्टेशन सेक्टर 10-ए, गुड़गांव, जिला गुड़गांव में धारा 420 और 272 आईपीसी के तहत दर्ज की गई और उसके बाद की सभी कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित होने के कारण रद्द की जाती है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा